

परास्नातक समाज कार्य

(Master of Social Work)

शोध प्रबंध कार्य

(Research Project Work)

शोध प्रबंध कार्य की रूपरेखा एवं शोध प्रबंध कार्य हेतु दिशानिर्देश

(Guidelines for Synopsis and Project Work / Dissertation)

एम्. एस. डब्लू - ४ सेमेस्टर

(M.S.W.-IV semester)

शिक्षार्थियों हेतु दिशानिर्देश

(Guidelines for Learners)

- एम्. एस. डब्लू. चतुर्थ सेमेस्टर में शिक्षार्थियों को शोध प्रबन्ध प्रस्ताव (Project Proposal) एवं शोध प्रबन्ध कार्य (Project Work/Dissertation) करने हेतु अपने अध्ययन केन्द्र के शैक्षिक परामर्शदाता / विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के समाज कार्य, समाज शास्त्र अथवा मनोविज्ञान विषय के प्राध्यापक / श्रम कल्याण अधिकारी / मानव संसाधन प्रबंधक/ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के प्राध्यापक से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। अतः शिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अध्ययन केन्द्र पर समाज कार्य के शैक्षिक परामर्शदाता से सम्पर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
- सर्वप्रथम शिक्षार्थियों को एक शोध प्रबन्ध प्रस्ताव तैयार कर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
- विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग द्वारा शोध प्रबन्ध प्रस्ताव का अवलोकन कर आवश्यक दिशानिर्देश एवं सुझाव, शोध प्रबन्ध प्रस्ताव उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को प्रेषित करने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह पश्चात विश्वविद्यालय की वेब साईट पर अपलोड कर दिए जायेंगे।

- जिन शिक्षार्थियों का शोध प्रबन्ध प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा ,उन विद्यार्थियों को अपना शोध प्रबन्ध प्रस्ताव आवश्यक सुधार के साथ एक सप्ताह के भीतर पुनः विश्वविद्यालय (only soft copy)को प्रेषित करना होगा ।
- कोई भी शोध प्रबन्ध प्रस्ताव, जो विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो उसका शोध प्रबंध, शोध प्रबन्ध प्रस्ताव की स्वीकृति के बिना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- विश्वविद्यालय द्वारा शोध प्रबन्ध प्रस्ताव की स्वीकृत की पुष्टि हो जाने पर ही अपना शोध कार्य प्रारंभ करें ।
- शोध प्रारूप पर आपके अध्ययन केंद्र के परामर्शदाता / पर्यवेक्षक की संस्तुति होने पर ही अपना शोध प्रबन्ध प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्रेषित करें ।
- शिक्षार्थियों को शोध प्रबन्ध प्रस्ताव के साथ अपने पर्यवेक्षक का एक बायो-डेटा अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा, इसके बिना किसी भी विद्यार्थी का शोध प्रारूप विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
- विश्वविद्यालय को भेजा गया शोध प्रबन्ध विद्यार्थियों को वापस नहीं किया जायेगा।
- शिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना शोध अध्ययन स्वयं करें।नकल किया गया स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- यदि विश्वविद्यालय द्वारा किन्हीं दो शिक्षार्थियों के शोध प्रबन्ध का विषय एवं क्षेत्र समान पाया गया अथवा अनुवाद करके दूसरे विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया तो उनका शोध प्रबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
- शोध प्रबन्ध कार्य में मार्गदर्शन हेतु आपके अध्ययन केन्द्र द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

- शिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शोध प्रबन्ध प्रस्ताव एवं शोध प्रबन्ध कार्य की दो प्रतियाँ तैयार करें जिसमें से एक विश्वविद्यालय हेतु एवं दूसरी विद्यार्थियों के स्वयं के उपयोग के लिए होगी।
- आपका शोध प्रबन्ध कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में डबल स्पेस, फॉन्ट साईज-१२ में ए- फोर पेपर- साईज में होना चाहिए।
- शोध प्रबन्ध कार्य टाईप होने के पश्चात आपके द्वारा पुनः टाईपिंग अशुद्धियों को देखकर उनको शुद्ध करा लिया जाए। शोध प्रबन्ध कार्य में पेज न० अवश्य अंकित करें ।
- शोध प्रबन्ध कार्य की बाईंडिंग हार्ड कवर पेज के साथ होनी चाहिए।
- शोध प्रबन्ध के प्रथम पन्ने पर शिक्षार्थी का नाम, एनरोलमेंट न० व स्टडी सेंटर का पूरा पता आदि उल्लिखित होना चाहिए एवं पर्यवेक्षक का पूरा नाम भी लिखा होना चाहिए। जिसका प्ररूप इस निर्देशिका के अंत में संलग्न है।
- जो शिक्षार्थी 30 मु० वि० के समाज कार्य विभाग के प्राध्यापकों के निर्देशन में अपना शोध कार्य पूर्ण करना चाहते हैं। वे शिक्षार्थी 30 मु० वि० के प्राध्यापकों से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं । परन्तु यहाँ यह ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है कि वही शिक्षार्थी विश्वविद्यालय में सम्पर्क करें जो तीन माहों तक कम से कम प्रत्येक सप्ताह में तीन कार्यदिवसों में विश्वविद्यालय में उपस्थित हो सकें।
- शोध प्रबन्ध कार्य के साथ शिक्षार्थियों को इस पुस्तिका के अन्तिम भाग में संलग्न तीन प्रोफॉर्मा को भरकर संलग्न करना परम आवश्यक है।
- आपको निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अंतिम तिथि से पहले प्रवेश और परीक्षा फॉर्म भरा जाना सुनिश्चित कीजिये ।

- शोध प्रबन्ध कार्य प्राथमिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए | द्वितीयक श्रोतों पर आधारित कार्य विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा |

आवश्यक तिथियाँ

- शोध प्रबन्ध प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्रेषित करने की अंतिम तिथि: 15 अप्रैल 2019.
- शोध प्रबंध कार्य (Project Work/Dissertation) विश्वविद्यालय को प्रेषित करने की अंतिम तिथि 31 मई 2019.
- उक्त तिथि के पश्चात प्रेषित किये गए शोध प्रबंध कार्य किसी भी दशा में विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे |
- उक्त तिथि के पश्चात भेजे गए शोध प्रबंध प्रस्ताव अगले सत्र में बैक पेपर परीक्षा के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे |

प्रस्तावना

(Introduction)

समाज कार्य के शिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उन्होंने समाज कार्य पाठ्यक्रम के अन्तर्गत जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका उपयोग करके क्षेत्र कार्य की विषयवस्तु से भी अवगत हो सके। अतः क्षेत्र कार्य की वास्तविकताओं से अवगत होते हुये समाज में अपनी भूमिका का निष्पादन करें तथा उस क्रिया में समाज कार्य की पद्धतियों का भी उपयोग करें ताकि वे भविष्य में अपनी कुशलताओं एवं निपुणताओं का उचित उपयोग करके अपना स्वयं का तथा समाज की समस्याओं के निराकरण में सहयोग प्रदान कर सकें। अतः समाज कार्य शिक्षार्थियों में शोध दक्षता उत्पन्न करने हेतु उन्हें शोध कार्य करना एक आवश्यक क्रियाकलाप है। जिसमें एक शीर्षक का चुनाव कर अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करना होता है। शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने के लिए सर्वप्रथम एक शोध प्रबंध प्रस्ताव (Research Project Proposal) का निर्माण करना होता है। आपका शोध प्रबंध प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात शोध प्रबन्ध कार्य को पूर्ण करना होगा। शोध प्रबन्ध प्रस्ताव एवं शोध प्रबन्ध कार्य सम्पन्न करने हेतु आपको उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। शोध प्रबन्ध प्रस्ताव एवं शोध प्रबन्ध कार्य करने हेतु अपने अध्ययन केन्द्र (Study centre) पर शैक्षिक परामर्शदाता (Academic Counsellor

) से सम्पर्क करें तथा उनसे शोध प्रबंध कार्य करने हेतु पर्यवेक्षक के चयन में सहयोग मागें। अध्ययन केन्द्र (Study centre) के शैक्षिक परामर्शदाता (Academic Counsellor) आपको आसपास के विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के समाज कार्य, समाज शास्त्र अथवा मनोविज्ञान विषय के प्राध्यापक /श्रम कल्याण अधिकारी /मानव संसाधन प्रबंधक/ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के प्राध्यापक से सम्पर्क करा देंगे जो आपको शोध प्रबन्ध कार्य को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करेंगे। यही सहयोगी जो आपको शोध प्रबन्ध कार्य को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करेंगे आपके पर्यवेक्षक कहलायेंगे। आपके पर्यवेक्षक ही आपको शोध कार्य पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेंगे अतः अपने पर्यवेक्षक के सम्पर्क में रहें तथा उनके द्वारा दिये गये सुझाओं से लाभान्वित हो।

प्रयोजन

(Purpose)

शोध प्रबन्ध को समाज कार्य के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने का मर्म यहाँ पर यह है कि शिक्षार्थियों को समाज की वास्तविकताओं एवं मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जा सके। जिससे आप समाज के विभिन्न आयामों से परिचित हो सकेंगे। यहाँ पर आपकी सुविधा हेतु यह कहना प्रासंगिक होगा कि आप जिस विषय में भविष्य में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, उस विषय का चयन कर सकते हैं। समाज कार्य पाठ्यक्रम में आप समाज कार्य के विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों से परिचित अवश्य हो गये होंगे, जो समाज कार्य की पृष्ठभूमि से सम्बन्धित है। आज के परिप्रेक्ष्य में आप समाज के विभिन्न ज्वलन्त मुद्दों पर भी शोध कर सकते हैं।

उद्देश्य

(Objectives)

शोध प्रबन्ध के मुख्य उद्देश्य

(Main Objectives of Project Work/Dissertation)

- समाज एवं समुदाय की परिस्थितियों से परिचित होना।
- सामाजिक जीवन से सम्बन्धित एवं जन समस्याओं से सम्बन्धित विषय चयन में मदद करना।
- शोध प्रबन्ध निर्माण हेतु व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना।
- अनुभवजन्य (Empirical) अध्ययन के संचालन में सहायता प्रदान करना।
- अच्छी गुणवत्ता की परियोजना रिपोर्ट लिखने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना।

शोध प्रबन्ध के विशेष उद्देश्य

(Special Objectives of Project Work/Dissertation)

- शोध समस्या का निर्माण करना सीखना।
- गहन साहित्य सर्वेक्षण द्वारा शोध हेतु उपयुक्त विषय का चुनाव करना।

- उपकल्पना का निर्माण करने की प्रक्रिया से अवगत होना।
- शोध प्रारूप निर्माण की प्रक्रिया को जानना।
- निदर्शन प्रारूप निर्धारण को समझना।
- आँकड़ा संकलन की विधि से अवगत होना।
- प्रोजेक्ट का सम्पादन करना सीखना।
- आँकड़ों का विश्लेषण करने का ज्ञान अर्जित करना।
- उपकल्पनाओं का परीक्षण सीखना।
- सामान्यीकरण और विवेचन और
- रिपोर्ट तैयार करना या परिणामों का प्रस्तुतीकरण यानि निष्कर्षों का औपचारिक लेखन लिखने की कला को सीखना।

प्रबन्ध प्रस्ताव अथवा परियोजना कार्य से आशय (Aims of Project Work/Dissertation)

परियोजना एक अप्रत्यक्ष /परोक्ष रूप में एंव सक्रिय कार्य करने की एक विधि है। जो संगठित रूप से एक विषय के बारे में क्रमबद्ध,विस्तृत एवं नयी जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करता है।आमतौर पर ऐसे विषय का चयन किया जाता है,जिस पर पूर्व में अधिक अध्ययन न किया गया हो अथवा ऐसी समस्या का चुनाव करें जिस पर पूर्व में अध्ययन तो हुआ हो परन्तु उस विषय में शोध का उद्देश्य भिन्न हो अथवा समस्या का स्वरूप परिवर्तित हो।उदाहरण स्वरूप ग्राम पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण पर अनेकों अध्ययन हो चुके हैं परन्तु समय के परिवर्तन के साथ समस्या का स्वरूप भिन्न हो गया है । सामाजिक शोध ही यहाँ वह माध्यम होता है जिसके द्वारा समस्या एंव उसकी प्रकृति तथा समस्या समाधान के बारे में सहायता प्राप्त कर सकेगें।

शोध प्रबन्ध प्रस्ताव /परियोजना कार्य कब प्रारम्भ किया जाए (When Project Work/Dissertation will begin)

- अपनी रुचि के शोध विषय (Research Topic) का चयन करें।
- अध्ययन केन्द्र पर अपने शैक्षिक परामर्शदाता /पर्यवेक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा।
- पर्यवेक्षक से संस्तुति प्राप्त करें।
- अध्ययन करना।(Conducting the Study)
- प्रतिवेदन तैयार करना।
- अपने पर्यवेक्षक से समय-समय पर सलाह एवं मार्गदर्शन प्राप्त करें।

विषय /शीर्षक का चुनाव एवं पर्यवेक्षक की सहमति प्राप्त करना (Selection of Topic and Supervisors consent)

किसी भी शोध को करने का प्रथम सोपान विषय का चयन होता है। अपनी रुचि के विषय को चुनते समय अपने पाठ्यक्रम की विषयवस्तु को ध्यान में रखें। ताकि आप अपने पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषय का चयन कर सकें। इसके अतिरिक्त विषय की उपयुक्तता, प्रासंगिकता, विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री, समय सीमा एवं व्यय आदि बातों का ध्यान रखें। तथ्यों के संग्रहण हेतु स्थान का चयन भी विशेष महत्व रखता है जिससे आपकी समय एवं धन का अपव्यय न हो। आप अपनी सुविधानुसार राज्य, जिला एवं विकास खण्ड का चयन कर सकते हैं। परन्तु यहाँ यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि शोध अध्ययन समय की प्रासंगिकता एवं अनुकूलता का होना चाहिये जिससे आप वर्तमान की समस्या से अवगत हो सके।

शोध से सम्बन्धित विषय

(Topics related to Research)

किसी भी शोध कार्य को करने की प्रथम सीढ़ी विषय चयन की होती है अतः शिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपनी रुचि का विषय चुनते समय अपने पाठ्यक्रम की विषयवस्तु का भी ध्यान रखें ताकि आप अपने पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषय का चयन कर सकें। इसके अतिरिक्त आपको विषय की उपयुक्तता, प्रासंगिकता, विषय की अध्ययन सामग्री, समय सीमा के साथ-साथ शोध कार्य में व्यय होने वाली धनराशि पर भी ध्यान केन्द्रित कर सकें।

आप अपने विषय चयन में राज्य, जिला, ब्लाक एवं ग्राम स्तर की किसी भी इकाई को समस्या के रूप में ले सकते हैं परन्तु यहाँ यह कहना आवश्यक है कि शोध अध्ययन समय की अनुकूलता के अनुसार होना चाहिए एवं समय सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है तथा प्राथमिक श्रोतों (Primary Data based) पर आधारित होना चाहिए।

शोध प्रबन्ध प्रस्ताव

(Research Project proposal)

आपका प्रबन्ध प्रस्ताव 8-10 पन्नों का होना चाहिये। यह प्रत्ययात्मक रूपरेखा (Conceptual framework) का होना चाहिये। जो समस्या की प्रकृति को दर्शाते हुये होना चाहिये। जिसमें समस्या का चयन उद्देश्य, उपकल्पना, समग्र एवं विनिर्दर्शन का विवरण होना चाहिए। आंकड़ा संग्रह की विधियाँ, सारणीयन एवं अध्यायीकरण को सम्मिलित किया जाना चाहिये। समाज वैज्ञानिक होने के नाते आप से अपेक्षा की जाती है कि आप सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों का प्रयोग करते हुये नये ज्ञान की खोज एवं पुराने ज्ञान के सत्यापन का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

शोध प्रबन्ध प्रस्ताव लिखने हेतु प्रारूप

(Proposal format to write dissertations)

- शीर्षक का चुनाव

(Selection of Topic) - सर्वप्रथम शोध प्रबन्ध प्रस्ताव बनाने हेतु एक शोध शीर्षक का चुनाव करना चाहिए जो समसामयिक समस्याओं से सम्बन्धित हो। जैसे: शिक्षा एवं आर्थिक रूप से लाभ पूर्ण कार्यों द्वारा गली के बच्चों का सशक्तीकरण।

- **उपकल्पना का निर्माण**

Formation of Hypothesis -शोध परियोजना हेतु समस्या के आधार पर परिकल्पना / प्रकल्पना का निर्माण करना चाहिए। जैसे : गली के बच्चों में भी छुपी हुई प्रतिभाएं होती हैं यदि उनको उचित माहौल मिले तो समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। अध्ययन की उपयुक्तता - अध्ययन का शीर्षक क्यों चुना गया तथा इसकी उपयोगिता क्या है के बारे में स्पष्ट ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए।

- **अध्ययन के उद्देश्य**

Objectives of the Study - अध्ययन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। कि उक्त अध्ययन को किये जाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है तथा आप इस अध्ययन को किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करना चाहते हैं।

- **अध्ययन हेतु प्रयोग प्रविधि**

Methodology for Study - प्रस्तुत शोध अध्ययन में कौन-कौन सी शोध प्रविधियों का प्रयोग करेंगे | यहाँ पर आपको उन प्रयोग की जाने वाली विधियों का स्पष्ट एवं विस्तार से वर्णन करना होगा |

- **शोध प्ररचना**

Research Design – शोध प्रविधि में कौन सी शोध प्ररचना का प्रयोग करेंगे। जो आपके शोध कार्य की प्रकृति एवं उद्देश्यों को फलीभूत करेंगे उसके बारे में चर्चा करना चाहिए एवं परिभाषा देनी चाहिए।

- **समग्र एवं निदर्शन**

- **Universe & Sampling** – शोध कार्य का समग्र एवं निदर्शन क्या होगा। उसके बारे में चर्चा करना चाहिए एवं परिभाषा देनी चाहिए।

- **तथ्य एकत्रित करने की तकनीक**

Techniques of Data Collection - शोध अध्ययन में तथ्य एकत्रित करने हेतु दो विधियों का प्रयोग करते हैं।

प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने की विधि

Primary methods of data collection - प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने हेतु कई विधियों का प्रयोग करते हैं। जिनमें कुछ अग्रलिखित हैं -

- 2 प्रश्नावली
- 3 अनुसूची
- 4 साक्षात्कार
- 5 वैयक्तिक अध्ययन

उपरोक्त सभी विधियों की व्याख्या एवं परिभाषा देते हुए शोध अध्ययन में कैसे प्रयोग करेंगे का स्पष्ट वर्णन करना चाहिए।

यहाँ पर आपको प्राथमिक तथ्य एकत्रितकरण में साक्षात्कार लेने हेतु कुछ सलाह दी जाती है।

- 1 एक बार में केवल एक ही प्रश्न पूछें।
- 2 यदि आवश्यकता है तो प्रश्न को दोहरायें।
- 3 सरल भाषा का प्रयोग करें ताकि आपके द्वारा पूछे गये प्रश्न को उत्तरदाता ठीक प्रकार से समझ सके।
- 4 उत्तरदाता के उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनें।
- 5 उत्तरदाता के चेहरे के हाव-भाव, भावभंगिमा, शरीर एवं मन की दशा को भी समझने का प्रयास करें ताकि आप उत्तरदाता की मनोस्थिति से परिचित हो सकें।
- 6 उत्तरदाता को उत्तर देने हेतु पर्याप्त समय दें, परन्तु अत्यधिक नहीं ताकि वह प्रश्नों के उत्तर को बना कर दें तथा आप अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल न हो सकें।
- 7 उत्तरदाता को उत्तर देने की स्थिति में शोधकर्ता द्वारा किसी प्रकार की भावभंगिमा न प्रकट करें।
- 8 विवादित मुद्दों पर भावभंगिमा बिल्कुल निष्पक्ष प्रतीत होनी चाहिये।
- 9 ऐसे प्रश्नों की सूची बना लें जिनके उत्तर अस्पष्ट, अनेकार्थी एवं टालने वाले हों।
- 10 अव्यवस्थित प्रश्नों के उत्तर हेतु अतिरिक्त प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए।

द्वितीय तथ्य एकत्रित करने की विधि

Methods of Secondary data collection द्वितीय तथ्य वे तथ्य होते हैं जो विभिन्न किताबों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि के माध्यम से एकत्रित किये जाते हैं इनका स्पष्ट निरूपण होना चाहिए।

- सारिणीकरण, तथ्य विश्लेषण व्याख्या एवं प्रतिवेदन

Tabulation, interpretation and Report Writing - शोध प्रबन्ध प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से वर्णन करना चाहिए कि शोध अध्ययन में किस प्रकार की सारिणी का प्रयोग करेंगे तथ्यों का कैसे विश्लेषण करेंगे उनकी व्याख्या कैसे करेंगे तथा उनका प्रतिवेदन करेंगे।

- शोध अध्ययन का अध्यायीकरण

Chapterisation of research Study - इस शीर्षक के अन्तर्गत शोध प्रबन्ध में कौन-कौन से अध्याय होंगे तथा उन अध्यायों में कौन-कौन से तथ्य होंगे का वर्णन करना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त शीर्षकों के अन्तर्गत शोध प्रबन्ध प्रस्ताव तैयार कर पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करना चाहिए तथा पर्यवेक्षक के अनुमोदन के पश्चात अपना शोध कार्य शुरू करना चाहिए।

शोध प्रबन्ध हेतु प्रारूप Outline of Research Project

शोध प्रबन्ध लिखने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है कि अध्यायीकरण के अनुसार प्रतिवेदन किया जाए। इस प्रकार शोध प्रबन्ध तैयार करने हेतु अग्रलिखित शीर्षक दिये जा रहे हैं-

प्रस्तावना

Introduction - इसमें शोध अध्ययन शीर्षक से सम्बन्धित तथ्यों को विस्तृत रूप से लिखना चाहिए तथा जो साहित्य जहां से लिये गये हैं उनका भी सन्दर्भ सूची में वर्णन करना चाहिए।

शोध अध्ययन की उपयुक्तता व उद्देश्य

Objectives and relevance of research study - इसमें शोध अध्ययन की उपयुक्तता तथा उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन करना चाहिए।

साहित्य का पुनरावलोकन

Review of literature - शोध अध्ययन का प्रतिवेदन करने में साहित्य पुनरावलोकन का महत्वपूर्ण स्थान है अतः शोध अध्ययन प्रतिवेदन में पूर्व में हुए अध्ययनों का वर्णन सांख्यिकीय तथ्यों के साथ करना चाहिए।

शोध प्रविधि

Research design - शोध अध्ययन प्रतिवेदन में विस्तृत रूप से शोध प्रविधि का वर्णन करना चाहिए। जिसमें शोध प्ररचना शोध निदर्शन तथा तथ्यों के एकत्रीकरण के बारे में भी वर्णन करना चाहिए।

उत्तरदाताओं का पार्श्वचित्र

Profile of respondents - इस अध्याय में शोध से सम्बन्धित तथ्यों के आधार पर उत्तरदाताओं का पार्श्वचित्र देना चाहिए जिसमें चित्रों, ग्राफों का भी प्रयोग किया जा सकता है।

उत्तरदाताओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति

Social and economic condition of respondents - इस अध्याय में उत्तरदाताओं से सम्बन्धित उन सभी तथ्यों का वर्णन करना चाहिए जो उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित हो।

उत्तरदाताओं की समस्याएँ एवं उनके सुझाव

Respondent's problems and their suggestions - इस अध्याय में उत्तरदाताओं की समस्याओं का वर्णन करना चाहिए तथा उनके सुझावों को भी स्थान देना चाहिए।

निष्कर्ष

Conclusion - इसके अन्तर्गत शोध अध्ययन में महत्वपूर्ण तथ्यों को दिया जाना चाहिए जिससे शोध अध्ययन की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की जानी चाहिये ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bibliography References -

शोध प्रबन्ध में जो भी तथ्य द्वितीयक स्रोतों से लिये जाते हैं उनका विवरण सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में देना चाहिए।

शिक्षार्थियों की सहायता हेतु यहाँ शोध से सम्बन्धित विभिन्न चरणों की व्याख्या की जा रही है।

प्रथम चरण- शोध प्रक्रिया में सबसे पहला चरण समस्या का चुनाव या शोध विषय का निर्धारण होता है। यदि आपको किसी विषय पर शोध करना है तो स्वाभाविक है कि सर्वप्रथम आप यह तय करेंगे कि किस विषय पर कार्य किया जाये। विषय का निर्धारण करना तथा उसके सैद्धान्तिक एवं अवधारणात्मक पक्ष को स्पष्ट करना शोध का प्रथम चरण होता है। शोध विषय का चयन सरल कार्य नहीं होता है, इसलिए ऐसे विषय को चुना जाना चाहिए जो आपके समय और साधन की सीमा के अन्तर्गत हो तथा विषय न केवल आपकी रुचि का हो अपितु समसामयिक हो। इस तरह आपके द्वारा चयनित एक सामान्य विषय वैज्ञानिक खोज के लिए आपके द्वारा विशिष्ट शोध समस्या के रूप में निर्मित कर दिया जाता है। शोध विषय के निर्धारण और उसके प्रतिपादन की दो अवस्थाएँ होती हैं- प्रथमतः तो शोध समस्या को गहन एवं व्यापक रूप से समझना तथा द्वितीय उसे विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से प्रकारान्तर में अर्थपूर्ण शब्दों में प्रस्तुत करना।

अक्सर शोध छात्रों द्वारा यह प्रश्न किया जाता है कि किस विषय पर शोध करें। इसी तरह अक्सर शोध छात्रों से यह प्रश्न किया जाता है कि आपने चयनित विषय क्यों लिया। दोनों ही स्थितियों से यह स्पष्ट है कि शोध के विषय या अध्ययन समस्या का चुनाव महत्वपूर्ण चरण है, जिसका स्पष्टीकरण जरूरी है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अनेकों शोध छात्र अपने शोध विषय के चयन का स्पष्टीकरण समुचित तरीके से नहीं दे पाते हैं। विद्वानों ने अपने शोध विषय के चयन के तर्कों पर काफी कुछ लिखा है। हम यहाँ उनके तर्कों को प्रस्तुत नहीं करेंगे अपितु मात्र बर्नार्ड (1994) के उस सुझाव का उल्लेख करना चाहेंगे जिसमें उसने शोधकर्ताओं को यह सुझाव दिया है कि वे स्वयं से निम्नांकित प्रश्न पूछें-

- क्या आपको अपने शोध का विषय रुचिकर लगता है।

- क्या आपके शोध विषय का वैज्ञानिक अध्ययन सम्भव है।
- क्या आपके पास शोध कार्य को सम्पादित करने के लिए पर्याप्त संसाधन है।
- क्या शोध प्रश्नों को पूछने अथवा शोध की कुछ विधियों एवं तकनीकों के प्रयोग से आपके समक्ष किसी प्रकार की नीतिगत अथवा नैतिक समस्या तो नहीं आयेगी।
- क्या आपके शोध का विषय सैद्धान्तिक रूप से महत्वपूर्ण और रोचक है।

निश्चित रूप से उपरोक्त प्रश्नों पर तार्किक तरीके से विचार करने पर उत्तम शोध समस्या का चयन सम्भव हो सकेगा।

द्वितीय चरण- यह तय हो जाने के पश्चात् कि किस विषय पर शोध कार्य किया जायेगा, विषय से सम्बन्धित साहित्यों (अन्य शोध कार्यों) का सर्वेक्षण (अध्ययन) किया जाता है। इससे तात्पर्य यह है कि चयनित विषय से सम्बन्धित समस्त लिखित या अलिखित, प्रकाशित या अप्रकाशित सामग्री का गहन अध्ययन किया जाता है, ताकि चयनित विषय के सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त हो सके। चयनित विषय से सम्बन्धित सैद्धान्तिक एवं अवधारणात्मक साहित्य तथा आनुभविक साहित्य का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। इस पर ही शोध की समस्या का वैज्ञानिक एवं तार्किक प्रस्तुतीकरण निर्भर करता है। कभी-कभी यह प्रश्न उठता है कि सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण शोध की समस्या के चयन के पूर्व होना चाहिए कि पश्चात्। ऐसा कहा जाता है कि शोध समस्या को विद्यमान साहित्य के प्रारम्भिक अध्ययन से पूर्व ही चुन लेना बेहतर रहता है।' इग्नु 2006: 33) यहाँ यह भी प्रश्न उठ सकता है कि बिना विषय के बारे में कुछ पढ़े कोई कैसे अध्ययन समस्या का निर्धारण कर सकता है विशेषकर तब जब आप यह अपेक्षा रखते हैं कि शोधकर्ता शोध के प्रथम चरण में ही अध्ययन की समस्या को निर्धारित निर्मित, एवं परिभाषित करे तथा उसके शोध प्रश्नों एवं उद्देश्यों को अभिव्यक्त करे। समस्या का चयन एवं उसका निर्धारण शोधकर्ता के व्यापक ज्ञान के आधार पर हो सकता है। तत्पश्चात् उसे उक्त विषय से सम्बन्धित सैद्धान्तिक एवं अवधारणात्मक तथा विविध विद्वानों द्वारा किये गये आनुभविक अध्ययनों से सम्बन्धित सामग्री का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्बन्धित विषय पर किन-किन दृष्टियों से, किन-किन विद्वानों ने विचार किया है और विविध अध्ययनों के उद्देश्य, उपकल्पनाएं, कार्यविधि क्या-क्या रही है। साथ ही साथ विविध विद्वानों के क्या निष्कर्ष रहे हैं। इतना ही नहीं उन विद्वानों द्वारा झेली गयी समस्याओं या उसके द्वारा भविष्य के अध्ययन किये जाने वाले सुझाये विषयों की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये समस्त ज्ञान एवं जानकारियाँ किसी भी शोधकर्ता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होती हैं।

तृतीय चरण- सम्बन्धित समस्त सामग्रियों के अध्ययनों के उपरान्त शोधकर्ता अपने शोध के उद्देश्यों को स्पष्ट अभिव्यक्त करता है कि उसके शोध के वास्तविक उद्देश्य क्या-क्या हैं। शोध के स्पष्ट उद्देश्यों का होना किसी भी शोध की सफलता एवं गुणवत्तापूर्ण प्रस्तुतीकरण के लिए आवश्यक है। उद्देश्यों की स्पष्टता अनिवार्य है। उद्देश्यों के आधार पर ही आगे कि प्रक्रिया निर्भर

करती है, जैसे कि तथ्य संकलन की प्रविधि का चयन और उस प्रविधि द्वारा उद्देश्यों के ही अनुरूप तथ्यों के संकलन की रणनीति या प्रश्नों का निर्धारण। यह कहना उचित ही है कि जब तक आपके पास शोध के उद्देश्यों का स्पष्ट अनुमान न होगा, शोध नहीं होगा और एकत्रित सामग्री में वांछित सुसंगति नहीं आएगी क्योंकि यह सम्भव है कि आपने विषय को देखा हो जिस स्थिति में हर परिप्रेक्ष्य भिन्न मुद्दों से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, विकास पर समाज कार्य अध्ययन में अनेक शोध प्रश्न हो सकते हैं जैसे विकास में महिलाओं की भूमिका, विकास में जाति एवं नातेदारी की भूमिका अथवा पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन पर विकास के समाजिक परिणाम।' (इग्नू 2006: 33-34) है।

चतुर्थ चरण- शोध के उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात् अध्ययन की उपकल्पनाओं या प्राक्कल्पनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की जरूरत है। यह उल्लेखनीय है कि सभी प्रकार के शोध कार्यों में उपकल्पनाएँ निर्मित नहीं की जाती हैं, विशेषकर ऐसे शोध कार्यों में जिसमें विषय से सम्बन्धित पूर्व जानकारियाँ सप्रमाण उपलब्ध नहीं होती हैं। अतः यदि हमारा शोध कार्य अन्वेषणात्मक है तो हमें वहाँ उपकल्पनाओं के स्थान पर शोध प्रश्नों को रखना चाहिए। इस दृष्टि से यदि देखा जाये तो स्पष्ट होता है कि उपकल्पनाओं का निर्माण हमेशा ही शोध प्रक्रिया का एक चरण नहीं होता है उसके स्थान पर शोध प्रश्नों का निर्माण उस चरण के अन्तर्गत आता है।

उपकल्पना या प्राक्कल्पना से तात्पर्य क्या हैं, और इसकी शोध में क्या आवश्यकता है, इत्यादि प्रश्नों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

लुण्डबर्ग (1951:9) के अनुसार, उपकल्पना एक सम्भावित सामान्यीकरण होता है, जिसकी वैधता की जाँच की जानी होती है। अपने प्रारम्भिक स्तरों पर उपकल्पना कोई भी अटकलपच्चू, अनुमान, काल्पनिक विचार या सहज ज्ञान या और कुछ हो सकता है जो क्रिया या अन्वेषण का आधार बनता है।'

गुड तथा स्केट्स (1954: 90) के अनुसार: एक उपकल्पना बुद्धिमत्तापूर्ण कल्पना या निष्कर्ष होती है जो अवलोकित तथ्यों या दशाओं को विश्लेषित करने के लिए निर्मित और अस्थायी रूप से अपनायी जाती है।

गुडे तथा हॉट (1952:56) के शब्दों में कहा जाये तो, यह (उपकल्पना) एक मान्यता है जिसकी वैधता निर्धारित करने के लिए उसकी जाँच की जा सकती है।'

सरल एवं स्पष्ट शब्दों में कहा जाये तो उपकल्पना शोध विषय के अन्तर्गत आने वाले विविध उद्देश्यों से सम्बन्धित एक काम चलाऊ अनुमान या निष्कर्ष है, जिसकी सत्यता की परीक्षा प्राप्त तथ्यों के आधार पर की जाती है। विषय से सम्बन्धित साहित्यों के अध्ययन के पश्चात् जब उत्तरदाता अपने अध्ययन विषय को पूर्णतः जान जाता है तो उसके मन में कुछ सम्भावित निष्कर्ष आने लगते हैं और वह अनुमान लगाता है कि अध्ययन में विविध मुद्दों के सन्दर्भ में प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण के उपरान्त इस-इस प्रकार के निष्कर्ष आएंगे। ये सम्भावित निष्कर्ष ही

उपकल्पनाएँ होती हैं। वास्तविक तथ्यों के विश्लेषण के उपरान्त कभी-कभी ये गलत साबित होती हैं और कभी-कभी सही। उपकल्पनाओं का सत्य प्रमाणिक होना या असत्य सिद्ध हो जाना विशेष महत्व का नहीं होता है। इसलिए शोधकर्ता को अपनी उपकल्पनाओं के प्रति लगाव या मिथ्या झुकाव नहीं होना चाहिए अर्थात् उसे कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे कि उसकी उपकल्पना सत्य प्रमाणित हो जाये। जो कुछ भी प्राथमिक तथ्यों से निष्कर्ष प्राप्त हों उसे ही हर हालात में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वैज्ञानिकता के लिए वस्तुनिष्ठता प्रथम शर्त है इसे ध्यान में रखते हुए ही शोधकर्ता को शोध कार्य सम्पादित करना चाहिए। उपकल्पना शोधकर्ता को विषय से भटकने से बचाती है। इस तरह एक उपकल्पना का इस्तेमाल दृष्टिहीन खोज से रक्षा करता है (यंग 1960: 99)।

उपकल्पना या प्राक्कल्पना स्पष्ट एवं सटीक होनी चाहिए। वह ऐसी होनी चाहिए जिसका प्राप्त तथ्यों से निर्धारित अवधि में अनुभवजन्य परीक्षण सम्भव हो। यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एक उपकल्पना और एक सामान्य कथन में अन्तर होता है। इस रूप में यदि देखा जाय तो कहा जा सकता है कि उपकल्पना में दो परिवर्त्यों में से किसी एक के निष्कर्षों को सम्भावित तथ्य में रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उपकल्पना परिवर्त्यों के बीच सम्बन्धों के स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, ये तीन सम्बन्ध परिवर्त्यों के मध्य माने जाते हैं। उपकल्पना परिवर्त्यों के सम्बन्धों को उद्धाटित करती है।

उपकल्पना जो कि फलदायी अन्वेषण का अस्थायी केन्द्रीय विचार होती है (यंग 1960: 96), के निर्माण के चार स्रोतों का गुडे तथा हाट (1952: 63-67) ने उल्लेख किया है-

(अ) सामान्य संस्कृति (ब) वैज्ञानिक सिद्धान्त (स) सादृश्य (द) व्यक्तिगत अनुभव। इन्हीं चार स्रोतों से उपकल्पनाओं का उद्गम होता है।

उपकल्पनाओं के बिना शोध अनिर्दिष्ट (Unfocused) एक दैव आनुभविक भटकाव होता है।

उपकल्पना शोध में जितनी सहायक है उतनी ही हानिकारक भी हो सकती है। इसलिए अपनी उपकल्पना पर जरूरत से ज्यादा विश्वास रखना या उसके प्रति पूर्वाग्रह रखना, उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना कदापि उचित नहीं है। ऐसा यदि शोधकर्ता करता है तो उसके शोध में वैषयिकता समा जायेगी और वैज्ञानिकता का अन्त हो जायेगा।

पंचम चरण- समग्र एवं निदर्शन निर्धारण शोध कार्य का पाँचवा चरण होता है। समग्र का तात्पर्य उन सबसे है, जिन पर शोध आधारित है या जिन पर शोध किया जा रहा है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी विश्वविद्यालय के छात्रों से सम्बन्धित किसी पक्ष पर शोध कार्य करने जा रहे हैं, तो उस विश्वविद्यालय के समस्त छात्र अध्ययन का समग्र होंगे। इसी तरह यदि हम सामाजिक-आर्थिक विकासों का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, तो चयनित ग्राम या ग्रामों की समस्त महिलाएँ अध्ययन समग्र होंगी। चूँकि किसी भी शोध कार्य में समय और साधनों की सीमा होती है और बहुत बड़े और लम्बी अवधि के शोध कार्य में सामाजिक तथ्यों के कभी-कभी नष्ट होने का भय भी रहता है, इसलिए सामान्यतः छोटे स्तर

(माइक्रो) के शोध कार्य को वरीयता दी जाती है। इस तथाकथित छोटे या लघु अध्ययन में भी सभी इकाईयों का अध्ययन सम्भव नहीं हो पाता है, इसलिए कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाईयों का चयन वैज्ञानिक आधार पर कर लिया जाता है। इसी चुनी हुई इकाईयों को निदर्शन कहते हैं। सम्पूर्ण अध्ययन इन्हीं निदर्शित इकाईयों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित होता है, जो सम्पूर्ण समग्र पर लागू होता है। यंग (1960: 302) के शब्दों में कहा जाये तो कह सकते हैं कि एक सांख्यिकीय निदर्शन उस सम्पूर्ण समूह अथवा योग का एक अतिलघु चित्र या क्रास सेक्शन' है,जिससे निदर्शन लिया गया है।

समग्र का निर्धारण ही यह तय कर देता है कि आनुभविक अध्ययन किन पर होगा। इसी स्तर पर न केवल अध्ययन इकाईयों का निर्धारण होता है, अपितु भौगोलिक क्षेत्र का भी निर्धारण होता है। और भी सरलतम रूप में कहा जाये तो इस स्तर में यह तय हो जाता है कि अध्ययन कहाँ (क्षेत्र) और किन पर(समग्र) होगा, साथ ही कितनों (निदर्शन) पर होगा।

उल्लेखनीय है कि अक्सर निदर्शन की आवश्यकता पड़ ही जाती है। ऐसी स्थिति में नमूने के तौर पर कुछ इकाईयों का चयन कर उनका अध्ययन कर लिया जाता है। ऐसे नमूने' हम दैनिक जीवन में भी प्रायः प्रयोग में लाते हैं। उदाहरण के लिए चावल खरीदने के लिए पूरे बोरे के चावलों को उलट-पलट कर नहीं देखा जाता है। अपितु कुछ ही चावल के दानों के आधार पर सम्पूर्ण बोरे के चावलों की गुणवत्ता को परख लिया जाता है। इसी तरह भगोने या कुकर में चावल पका है कि नहीं को ज्ञात करने के लिए कुकर के कुछ ही चावलों को उंगलियों मसलकर चावल के पकने या न पकने का निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि ये जो कुछ ही चावल सम्पूर्ण चावल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानि जिनके आधार पर हम उसकी गुणवत्ता या पकने का निष्कर्ष निकाल रहे हैं निदर्शन (सैम्पल) ही है। गुडे और हाट (1952 : 209) का कहना है कि, “एक निदर्शन,जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, किसी विशाल सम्पूर्ण का लघु प्रतिनिधि है।”

निदर्शन की मोटे तौर पर दो पद्धतियाँ मानी जाती हैं- एक को सम्भावनात्मक निदर्शन कहते हैं और दूसरी को असम्भावनात्मक या सम्भावना-रहित निदर्शन। इन दोनों पद्धतियों के अन्तर्गत निदर्शन के अनेकों प्रकार प्रचलन में हैं। निदर्शन की जिस किसी भी पद्धति अथवा प्रकार का चयन किया जाये उसमें विशेष सावधानी अपेक्षित होती है, ताकि उचित निदर्शन प्राप्त हो सके।

कभी-कभी निदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मुख्य कारण समग्र का छोटा होना हो सकता है, या अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे सम्बन्धित समग्र या इकाई का आँकड़ा अनुपलब्ध हो, उसके बारे में कुछ पता न हो इत्यादि। ऐसी परिस्थिति में सम्पूर्ण समग्र का अध्ययन किया जाता है। ऐसा ही जनगणना कार्य में भी किया जाता है, इसीलिए इस विधि को 'जनगणना' या 'संगणना' विधि कहा जाता है, और इसमें समस्त इकाईयों का अध्ययन किया जाता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि, सामाजिक शोध में हमेशा निदर्शन लिया ही जायेगा

यह जरूरी नहीं होता है, कभी-कभी बिना निदर्शन प्राप्त किये ही 'संगणना विधि' द्वारा भी अध्ययन इकाईयों से प्राथमिक तथ्य संकलित कर लिये जाते हैं।

छठवाँ चरण- प्राथमिक तथ्य संकलन का वास्तविक कार्य तब प्रारम्भ होता है, जब हम तथ्य संकलन की तकनीक/उपकरण, विधि इत्यादि निर्धारित कर लेते हैं। उपयुक्त और यथेष्ट तथ्य संकलन तभी संभव है जब हम अपने शोध की आवश्यकता, उत्तरदाताओं की विशेषता तथा उपयुक्त तकनीक एवं प्रविधियों, उपकरणों/मापकों इत्यादि का चयन करें। प्राथमिक तथ्य संकलन उत्तरदाताओं से सर्वेक्षण के आधार पर और प्रयोगात्मक पद्धति से हो सकता है।

प्राथमिक तथ्य संकलन की अनेकों तकनीकें/उपकरण प्रचलन में हैं, जिनके प्रयोग द्वारा उत्तरदाताओं से सूचनाएँ एवं तथ्य प्राप्त किये जाते हैं। ये उपकरण या तकनीकें मौखिक अथवा लिखित हो सकती हैं, और इनके प्रयोग किये जाने के तरीकें अलग-अलग होते हैं। शोध की गुणवत्ता इन्हीं तकनीकों तथा इन तकनीकों के उचित तरीकें से प्रयोग किये जाने पर निर्भर करती है। उपकरणों या तकनीकों की अपनी-अपनी विशेषताएँ एवं सीमाएँ होती हैं। शोधकर्ता शोध विषय की प्रकृति, उद्देश्यों, संसाधनों की उपलब्धता (धन और समय) तथा अन्य विचारणीय पक्षों पर व्यापक रूप से सोच-समझकर इनमें से किसी एक तकनीक (तथ्य एकत्र करने का तरीका) का सामान्यतः प्रयोग करता है। कुछ प्रमुख उपकरण या तकनीकें इस प्रकार हैं- प्रश्नावली, साक्षात्कार, साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार-मार्गदर्शिका (इन्टरव्यू गाईड) इत्यादि। विधि से तात्पर्य सामग्री विश्लेषण के साधनों से है। प्रायः तकनीक/उपकरण और विधियों को परिभाषित करने में भ्रामक स्थिति बनी रहती है। स्पष्टता के लिए यहाँ उल्लेखनीय है कि विधि उपकरणों या तकनीकों से अलग किन्तु अन्तर्सम्बद्ध वह तरीका है जिसके द्वारा हम एकत्रित सामग्री की व्याख्या करने के लिए सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग करते हैं। शोध कार्य में प्रक्रियात्मक नियमों के साथ विभिन्न तकनीकों के सम्मिलन से शोध की विधि बनती है। इसके अन्तर्गत अवलोकन, केस-स्टडी, जीवन-वृत्त इत्यादि शोध की विधियाँ उल्लेखनीय हैं।

सप्तम चरण- प्राथमिक तथ्य संकलन शोध का अगला चरण होता है। शोध के लिए प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु जब उपकरणों एवं प्रविधियों का निर्धारण हो जाता है, और उन उपकरणों एवं तकनीकों का अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप निर्माण हो जाता है, तो उसके पश्चात् क्षेत्र में जाकर वास्तविक तथ्य संकलन का अति महत्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ होता है। कभी-कभी उपकरणों या तकनीकों की उपयुक्तता जाँचने के लिए और उसके द्वारा तथ्य संकलन का कार्य प्रारम्भ करने के पहले पूर्व-अध्ययन (पायलट स्टडी) द्वारा उनका पूर्व परीक्षण किया जाता है।

यदि कोई प्रश्न अनुपयुक्त पाया जाता है या कोई प्रश्न संलग्न करना होता है या और कुछ संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो उपकरण में आवश्यक संशोधन कर मुख्य तथ्य संकलन का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है। सामान्यतः समाज कार्य शोध में प्राथमिक तथ्य संकलन को अति सरल एवं सामान्य कार्य मानने की भूल की जाती है। वास्तविकता यह है कि यह एक अत्यन्त दुरुह एवं महत्वपूर्ण कार्य होता है, तथा शोधकर्ता की पर्याप्त कुशलता ही वांछित

तथ्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकती है। शोधकर्ता को यह प्रयास करना चाहिए कि उसका कार्य व्यवस्थित तरीके से निश्चित समयावधि में पूर्ण हो जाये। उल्लेखनीय है कि कभी-कभी उत्तरदाताओं से सम्पर्क करने की विकट समस्या उत्पन्न होती है और अक्सर उत्तरदाता सहयोग करने को तैयार भी नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में पर्याप्त सुझ-बुझ तथा परिपक्वता की आवश्यकता पड़ती है। उत्तरदाताओं को विषय की गंभीरता को तथा उनके सहयोग के महत्व को समझाने की जरूरत पड़ती है। उत्तरदाताओं से झूठे वादे नहीं करने चाहिए और न उन्हें किसी प्रकार का प्रलोभन देना चाहिए। उत्तरदाताओं की सहूलियत के अनुसार ही उनसे सम्पर्क करने की नीति को अपनाना उचित होता है। यथासम्भव घनिष्टता बढ़ाने के लिए (संदेह दूर करने एवं सहयोग प्राप्त करने के लिए) प्रयास करना चाहिए। तथ्य संकलन अनौपचारिक माहौल में बेहतर होता है। कोशिश यह करनी चाहिए कि उस स्थान विशेष के किसी ऐसे प्रभावशाली, लोकप्रिय, समाजसेवी व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो जाये जिसकी सहायता से उत्तरदाताओं से न केवल सम्पर्क आसानी से हो जाता है। अपितु उनसे वांछित सूचनाएँ भी सही-सही प्राप्त हो जाती हैं। यदि तथ्य संकलन का कार्य अवलोकन द्वारा या साक्षात्कार-अनुसूची, साक्षात्कार इत्यादि द्वारा हो रहा हो, तब तो क्षेत्र विशेष में जाने तथा उत्तरदाताओं से आमने-सामने की स्थिति में प्राथमिक सूचनाओं को प्राप्त करने की जरूरत पड़ती है। अन्यथा यदि प्रश्नावली का प्रयोग होना है, तो शोधकर्ता को सामान्यतः क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रश्नावली को डाक द्वारा और आजकल तो ई-मेल के द्वारा इस अनुरोध के साथ उत्तरदाताओं को प्रेषित कर दिया जाता है कि वे यथाशीघ्र (या निर्धारित समयावधि में) पूर्ण रूप से भरकर उसे वापस शोधकर्ता को भेज दें।

यदि शोध कार्य में कई क्षेत्र-अन्वेषक कार्यरत हों, तो वैसी स्थिति में उनको समुचित प्रशिक्षण तथा तथ्य संकलन के दौरान उनकी पर्याप्त निगरानी की आवश्यकता पड़ती है। प्रायः अन्वेषक प्राथमिक तथ्यों की महत्ता को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वे वास्तविक तथ्यों को प्राप्त करने में विशेष प्रयास और रुचि नहीं लेते हैं। अक्सर तो वे मनगढ़न्त अनुसूची को भर भी देते हैं। इससे सम्पूर्ण शोधकार्य की गुणवत्ता प्रभावित न हो जाये, इसके लिए विशेष सावधानी तथा रणनीति आवश्यक है ताकि सभी अन्वेषक पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ प्राथमिक तथ्यों का संकलन करें। तथ्य संकलन के दौरान आवश्यक उपकरणों जैसे टेपरिकार्डर, वायस रिकार्डर, कैमरा, विडियो कैमरा इत्यादि का भी प्रयोग किया जा सकता है। इनके प्रयोग के पूर्व उत्तरदाता की सहमति जरूरी है। प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के साथ ही साथ एकत्रित सूचनाओं की जाँच एवं आवश्यक सम्पादन भी करते जाना चाहिए। भूलवश छूटे हुए प्रश्नों, अपूर्ण उत्तरों इत्यादि को यथासमय ठीक करवा लेना चाहिए। कोई नयी महत्वपूर्ण सूचना मिले तो उसे अवश्य नोट कर लेना चाहिए।

तथ्यों का दूसरा स्रोत है द्वितीयक स्रोत द्वितीयक स्रोत तथ्य संकलन के वे स्रोत होते हैं जिनका विश्लेषण एवं निर्वचन दूसरे के द्वारा हो चुका होता है। अध्ययन की समस्या के निर्धारण के

समय से ही द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग प्रारम्भ हो जाता है और रिपोर्ट लेखन के समय तक स्थान-स्थान पर इनका प्रयोग होता रहता है।

अष्टम चरण: आठवाँ चरण वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण अथवा रिपोर्ट लेखन का होता है। विविध उपकरणों या तकनीकों एवं प्रविधियों के माध्यम से एकत्रित समस्त गुणात्मक सामग्री को गणनात्मक रूप देने के लिए विविध वर्गों में रखा जाता है, आवश्यकतानुसार सम्पादित किया जाता है। तत्पश्चात् सारिणी में गणनात्मक स्वरूप (प्रतिशत सहित) देकर विश्लेषित किया जाता है। कुछ वर्षों पूर्व तक सम्पूर्ण एकत्रित सामग्री को अपने हाथों से बड़ी-बड़ी कागज की शीटों पर कोडिंग करके उतारा जाता था तथा स्वयं शोधकर्ता एक-एक केस/अनुसूची से सम्बन्धित तथ्य की गणना करते हुए सारणी बनाता था। आज कम्प्यूटर का शोध कार्यों में व्यापक रूप से प्रचलन हो गया है। समाजवैज्ञानिक शोधों में कम्प्यूटर के विशेष सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से सभी प्रकार की सारिणियाँ (सरल एवं जटिल) शीघ्रातिशीघ्र बनायी जाती हैं। एस० पी० एस० एस. (स्टैटिस्टिकल पैकेज फार सोशल साइंसेज) एक ऐसा ही प्रोग्राम है, जिसका प्रचलन तेजी से बढ़ा है। समाज वैज्ञानिक शोधों में एसपीएसएस द्वारा सारिणीयाँ बनायी जा रही हैं। विविध परिवर्त्यों में सह-सम्बन्ध तथा सांख्यिकीय परीक्षण इसके द्वारा अत्यन्त सरल हो गया है। सारिणीयों के निर्मित हो जाने के पश्चात् उनका तार्किक विश्लेषण किया जाता है। तथ्यों में कार्य-कारण सम्बन्ध तथा सह-सम्बन्ध देखे जाते हैं। इसी चरण में उपकल्पनाओं की सत्यता की परीक्षा भी की जाती है। सैद्धान्तिक एवं अवधारणात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए समस्त शोध सामग्री को व्यवस्थित एवं तार्किक तरीके से विविध अध्यायों में रखकर विश्लेषित करते हुए शोध रिपोर्ट तैयार की जाती है।

अध्ययन के अन्त में परिशिष्ट के अन्तर्गत सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची तथा प्राथमिक तथ्य संकलन की प्रयुक्त की गयी तकनीक (अनुसूची या प्रश्नावली या स्केल इत्यादि) को संलग्न किया जाता है। सम्पूर्ण रिपोर्ट/प्रतिवेदन में स्थान-स्थान पर विषय भी आवश्यकता के अनुसार फोटोग्राफ, डाईग्राम, ग्राफ, नक्शे, स्केल इत्यादि रखे जाते हैं।

उपरोक्त रिपोर्ट लेखन के सन्दर्भ में ही उल्लेखनीय है कि, शोध रिपोर्ट या प्रतिवेदन का जो कुछ भी उद्देश्य हो, उसे यथासम्भव स्पष्ट होना चाहिए (मेटा स्पेन्सर, 1979: 47)। सेल्टिज तथा अन्य (1959 : 443) का कहना है कि, रिपोर्ट में शोधकर्ता को निम्नांकित बातें स्पष्ट करनी चाहिए-

- 1 समस्या की व्याख्या करें जिसे अध्ययनकर्ता सुलझाने की कोशिश कर रहा है।
- 2 शोध प्रक्रिया की विवेचना करें, जैसे निदर्शन कैसे लिया गया और तथ्यों के कौन से स्रोत प्रयोग किए गये हैं।
- 3 परिणामों की व्याख्या करें।

4 निष्कर्षों को सुझाये जो कि परिणामों पर आधारित हों। साथ ही ऐसे किसी भी प्रश्न का उल्लेख करें जो अनुत्तरित रह गया हो और जो उसी क्षेत्र में और अधिक शोध की मांग कर रहा हो।

गेराल्ड आरण् लेस्ली तथा अन्य (1994:35) का कहना है कि, 'समाज कार्य शोधों में विश्लेषण और व्याख्या अक्सर सांख्यिकीय नहीं होती। इसमें साहित्य और तार्किकता की आवश्यकता होती है। यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान अतिक्लिष्ट सांख्यिकीय पद्धति का भी प्रयोग करने लगे हैं। प्रत्येक समाज कार्य समस्या के सर्वाधिक उपयुक्त तरीकों जो सर्वाधिक ज्ञान एवं समझ पैदा करने वाला होता है के अनुरूप शोध और तथ्य संकलन तथा विश्लेषण को अपनाता है। उपागमों का प्रकार केवल अन्य समाज कार्य विशेषज्ञों के शोध को स्वीकार करने तथा यह विश्वास करने के लिए कि यह क्षेत्र में योगदान देगा कि इच्छा के कारण सीमित होता है।' ' अन्त में यह कहा जा सकता है कि, यद्यपि सभी शोधकर्ता समाज कार्य पद्धति के इन्हीं चरणों से गुजरते हैं तथापि कई चरणों को दूसरी तरीके से प्रयोग करते हैं। गेराल्ड आरण् लेस्ली (1994: 38) तथा अन्य का कहना है कि, 'यह विविधता समाज कार्य शोध को मजबूती प्रदान करती है और अपने द्वारा अध्ययन की जाने वाली समस्याओं के विस्तार को बढ़ाती है' ।

सामाजिक शोध का अध्ययन क्षेत्र एवं सार्थकता:

समाज कार्य शोध का अध्ययन क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। स्वाभाविक है कि सामाजिक शोध का क्षेत्र भी अत्यन्त व्यापक होता है। सामाजिक शोध के विस्तृत क्षेत्र को कार्ल पियर्सन (1937: 16) के इस कथन से आसानी से समझा जा सकता है कि, 'सामाजिक शोध का क्षेत्र वस्तुतः असीमित है, और शोध की सामग्री अन्तहीन। सामाजिक घटनाओं का प्रत्येक समूह सामाजिक जीवन का प्रत्येक पहलू, पूर्व और वर्तमान विकास का प्रत्येक चरण सामाजिक वैज्ञानिक के लिए सामग्री है।' ' पीण्वीण् यंग (1977: 34-98) ने सामाजिक शोध के क्षेत्र की व्यापक विवेचना करते हुए विविध विद्वानों के अध्ययनों यथा कूले, मीड थामस, नैनकी, पार्क, बर्गस, लिण्डस, सीण् राईट मिल्स, एंगेल, कोमोरोस्की, मर्डाल, स्टॉफर, मर्डोक, मर्टन, गौडिन, आलपोर्ट, ब्लूमर, बेल्स, मैज का विवरण प्रस्तुत किया है।

एक समाज कार्य शोधकर्ता सामाजिक जीवन की किसी विशिष्ट अथवा सामान्य घटना को शोध हेतु चयन कर सकता है। सामाजिक शोध के अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत मानव समाज व मानव जीवन के सभी पक्ष आते हैं। समाज कार्य की विविध विशेषीकृत शाखाओं यथा- ग्रामीण समाज कार्य, नगरीय समाज कार्य, औद्योगिक समाज कार्य, वृद्धावस्था समाज कार्य, युवाओं का समाज कार्य, चिकित्सकीय समाज कार्य, विचलन का समाज कार्य, सामाजिक आन्दोलन, सामाजिक वहिष्करण, सामाजिक परिवर्तन, विकास का समाजकार्य, जेण्डर स्टडीज, कानून का समाज कार्य, दलित अध्ययन, शिक्षा का समाज कार्य, परिवार एवं विवाह का समाज कार्य इत्यादि-इत्यादि से सामाजिक शोध का व्यापक क्षेत्र स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। सामाजिक शोध के उपरोक्त विस्तृत क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में यह कहना कदापि गलत न होगा कि एक विस्तृत सामाजिक क्षेत्र

के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करके सामाजिक शोध अज्ञानता का विनाश करता है। जब हम वृद्धों की समस्याओं, मजदूरों के शोषण और उनकी शोचनीय कार्यदशाओं, बाल मजदूरी, महिला कामगारों की समस्याओं, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, बेकारी इत्यादि पर सामाजिक शोध करते हैं, तो उसके प्राप्त परिणामों से न केवल समाज कल्याण के क्षेत्र में सहायता प्राप्त होती है अपितु सामाजिक नीतियों के निर्माण के लिए भी आधार उपलब्ध होता है। विविध सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित शोध कार्य कानून निर्माण की दिशा में भी योगदान करते हैं। सामाजिक शोध से सैद्धान्तिक एवं अवधारणात्मक समझ विकसित होती है, कार्य-कारण सम्बन्ध ज्ञात होते हैं और अन्ततः विषय की उन्नति होती है। सामाजिक शोध न केवल सामाजिक नियन्त्रण में सहायक होता है, अपितु सामाजिक शोध सामाजिक-आर्थिक प्रगति में भी सहायक होता है। सूचना क्रान्ति के इस युग में भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया ने समाज कार्य शोध के क्षेत्र को बढ़ा दिया है। पुराने विचार और सिद्धान्त अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। नवीन परिस्थितियों ने जटिल सामाजिक यथार्थ को नये सिद्धान्तों एवं विचारों से समझने के लिए बाध्य कर दिया है। सामाजिक शोध के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक महत्व का ही परिणाम है कि आज नीति निर्माताएँ कानूनविद, पत्रकारिता जगत, प्रशासक, समाज सुधारक, स्वैच्छिक संगठन, बौद्धिक वर्ग के लोग इससे विशेष अपेक्षा रखते हैं।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक जीवन के विविध पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन सामाजिक शोध है जिसके सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक उद्देश्य होते हैं। शोध की सम्पूर्ण प्रक्रिया विविध चरणों से गुजरती हुई पूर्ण होती है। वस्तुनिष्ठता से युक्त सामाजिक शोध से न केवल विषय की समझ विकसित होती है, अपितु नवीन ज्ञान की प्राप्ति के साथ-साथ यह सामाजिक नियन्त्रण, समाज कल्याण, सामाजिक-आर्थिक प्रगति, नीति-निर्माण इत्यादि ने भी सहायक होता है। आपको इस इकाई से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी सहायता से आस-पास की किसी एक शोध समस्या का चयन करना है तथा शोध के बताये गये चरणों का अनुसरण करते हुए लघु शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करना होगा।

श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्

लघु शोध प्रबन्ध के कवर पेज का प्रारूप

लघु शोध प्रबंध का शीर्षक

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
की

मास्टर ऑफ़ सोशल वर्क

उपाधि हेतु

प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध

(प्रश्न पत्र संख्या-17)

शोधार्थी का नाम
नामॉकन संख्या

निर्देशक का नाम

तिथि एवं वर्ष

अध्ययन केन्द्र का नाम एवं पता

श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्

Performa for Submission of MSW Project Proposal for Approval from Academic Councillor at Study Center


Enrollment No:

Title of the Project:

Date of Submission:

Name of the Study Center :

Name of the Regional Center



Name of the Guide :

Signature.....

Name & Address of the Guide:.....

Phone No.& Mail Id:

Name & Address of the Student.....

Phone No.& Mail Id :

Approved /not approved (with remarks).....

Date and Place:

Declaration

I hereby declare that the dissertation entitled.....

.....

.....(Write the title in Block Letters) Submitted by me for partial fulfillment of the MSW to Uttarakhand Open University (UOU) is my own original work and has not been submitted earlier to any other institution for the fulfillment of the requirement for any other programme of study.I also declare that no chapter of this manuscript in whole or in part is lifted and incorporated in this report from any earlier work done by me or others.

Date :

Place :

Signature :.....

Enrolment no.....

Name :.....

Address:.....

.....

.....

शिक्षावान् लभते ज्ञानम्

Certificate

This is to certified that Mr./Ms.

Student of MSW from Uttarakhand Open University (UOU)Haldwani was working under my supervision and guidance for his/her Project Work for the course MSW-18.His/Her Project Work entitled.....

Which he /she is submitting, is his /her genuine and original work.

Signature:.....

Name:.....

Address:.....

Phone no. & mail id.....

(To be Filled by Supervisor)

Date:

Place:

